BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 दिसम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम आफत का नगला थाना छर्रा जनपद अलीगढ़ द्वारा वर्ष-2013 में थाना छतरी क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला-फुसला कर ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2013 को थाना छतारी पर मुअसं–41/2013 धारा 363/366/376(डी)/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.09.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.12.2024 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-3 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को 10 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धुव्र कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।